{भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड–3, उप खण्ड (ii)में प्रकाशनार्थ}

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 28/2015–20
नई दिल्ली, दिनांक: 31 अक्तूबर, 2019

विषय: विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 7 में संशोधन के संबंध में।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (समय समय पर यथा संशोधित, 1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अध्याय 7 में दिनांक 05.12.2017 से निम्नलिखित संशोधन करती है:

पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7.03 (ख)	**बीसीडी के लिए मान्य निर्यात शुल्क वापसी**	**मान्य निर्यात शुल्क वापसी**
7.06	**मान्य निर्यात की शुल्क वापसी के लिए शर्त** आपूर्तियाँ विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ख) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी जो इस प्रकार हैं: उक्त श्रेणी के अंतर्गत विनिर्माण और आपूर्ति में उपयोग की जाने वाली निविष्टियों की मूल सीमा शुल्क के रूप में शुल्क–वापसी मूल सीमा शुल्क का वास्तविक भुगतान करने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर ब्रांड दर आधार पर की जाएगी।	**मान्य निर्यात की शुल्क वापसी के लिए शर्त** आपूर्तियाँ विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ख) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी जो इस प्रकार हैं: उक्त श्रेणी के अंतर्गत विनिर्माण और आपूर्ति में प्रयुक्त निविष्टियों पर शुल्क वापसी का दावा समय–समय पर राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी अनुसूची की **'सकल उद्योग दर'** पर माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पादन कर लगाने योग्य निविष्टियों पर सेन्वेट क्रेडिट का लाभ न लिए जाने की शर्त पर **अथवा** मूल सीमा शुल्क का वास्तविक भुगतान करने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर **'ब्रांड दर आधार'** पर किया जा सकता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: निविष्टियों पर भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के रिफंड को अखिल उद्योग दर पर भी अनुमत किया जाता है।

(बिद्युत बिहारी स्वैन)
महानिदेशक, विदेश एवं व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/92/180/21/एएम–19/पीसी–VI से जारी)